न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/18/2021	08–10–2021	26–07–2023

1– श्रीमती सरोज देवी पत्नी हनुमान प्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर।

–निगरानीकार

बनाम

1– ग्राम पंचायत हरसौरा, तहसील बानसूर जिला अलवर जरिये सरपंच।
2– ग्राम पंचायत हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर जरिये सचिव
3– पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर जरिये विकास अधिकारी।

–अनिगरानीकार

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 19.02.2014 पंचायत समिति बानसूर प्रार्थना पत्र बउनवान सरोज देवी बनाम ग्राम पंचायत हरसौरा।

उपस्थित:–

01. श्री राजेश गुप्ता –वकील निगरानीकार
02. श्री अनिल गुप्ता –वकील अनिगरानीकार

––:: निर्णय ::––

निगरानीकार ने यह निगरानी पंचायत समिति बानसूर के आदेश दिनांक 19.02.2014 व ग्राम पंचायत हरसौरा तहसील बानसूर द्वारा पारित आदेश दिनाक 17.06.20:0 जिसके द्वारा निगरानीकार को जारी पटटा 01 दिनाक 22.01.2008 को निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही की गयी है, से व्यथित होकर पेश की है।

निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानीकार परिवार सहित ग्राम पंचायत हरसौरा में भूखण्ड पैमाईशी 30 गुणा 45 पर करीब 20 वर्षो से रिहायश कर पुख्ता निर्माण किया हुआ है। ग्राम पंचायत हरसौरा द्वारा आंवटन (भूमियो का कमजोर वर्गो को आंवटन) मिन निगरानीकार को जरिये पटटा संख्या 01 पुस्तक संख्या 28 दिनाक 22.01.2008 को जारी किया गया है। आंवटन पत्र पर तत्कालीन सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर मौजुद है। निगरानीकार को भूखण्ड पैमाईशी 30 गुणा 45 के आंवटन की बाबत दिनाक 22.01.2008 को ग्राम पंचायत हरसौरा की सभा में प्रस्ताव संख्या 8 पारित किया गया है। जिस प्रस्ताव के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अनुमोदन में निगरानीकार को उक्त भूखण्ड का पटटा जारी किया गया, जो प्रस्ताव ग्राम पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में लिखित दर्ज है तथा दिनाक 22.01.2008 को ही अन्य प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत हरसौरा द्वारा लिये गये है, जो सभी प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज है। जिस पर वहॉ उपस्थित सरपंच, सभी पंचगण, सचिव एवं अन्य उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर करवाये गये है। दिनाक 17.06.2010 को ग्राम पंचायत हरसौरा की सभा में मिन निगरानीकार को दिनाक 22.01.2008 को जारी रिहायशी भूखण्ड के पटटे को अविधिक व मनमाने रूप से निरस्त करने का प्रस्ताव लिया गया तथा दिनाक 17.06.2010 को ग्राम पंचायत हरसौरा द्वारा मिन निगरानीकार को आंवटित भूखण्ड में की हुयी रिहायश को बिना विधिक प्रकिया अपनाये, मनमाने रूप से खाली करने का नोटिस जारी किया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 158 के तहत मिन निगरानीकार की प्रार्थना पर विचार विमर्श कर तथा जॉच कर उक्त निगरानीकार के कब्जेशुदा भूखण्ड 30 गुणा 45 का पटटा संख्या 1 दिनाक 22.01.2008 जारी किया गया उस समय ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगो को ऐसा कोई एतराज नही था, मिन निगरानीकार ने विधिवत रूप से उक्त पटटा प्राप्त किया था, जिसको निरस्त करने का ग्राम पंचायत हरसौरा को कोई हक व अधिकार हासिल नही था। निगरानीकार को उक्त भूखण्ड का पटटा बाद जॉच व ग्राम सभा की सभा की सहमति से जारी किया गया था, जिस भूखण्ड को ग्राम पंचायत हरसौरा को निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है, ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा निरस्त करने का अधिकार सक्षम न्यायालय को प्राप्त है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में उक्त पटटे को निरस्त करने बाबत कोई कार्यवाही नही की गयी है। तत्कालीन सचिव का स्थानान्तकरण होने के पश्चात ग्राम पंचायत हरसौरा में नियुक्त नवीन सचिव को चार्ज देते समय चार्ज लिस्ट में भी मिन निगरानीकार को जारी किये गये पटटे का हवाला है। जिससे भी साबित है कि निगरानीकार को विधिवत व कानूनी तरीके से रिहायशी कब्जेशुदा भूखण्ड का पटटा जारी किया गया था, जो कि वर्तमान संरपच द्वारा दिलीरंजिश रखते हुए मनमाने रूप से बिना विधिक प्रकिया अपनाए मिन निगरानीकार को बेंजा नुकसान पहुचाने की नियत से पटटा संख्या 1 निरस्त किया गया है, ग्राम पंचायत हरसौरा के आदेश दिनाक 17.06.2010 के विरूद्व एक रिट पिटीशन माननीय उच्य न्यायालय में दायर की हुई थी, जिसमें माननीय उच्य न्यायालय ने पंचायत समिति बानसूर को रिट पिटीशन रिमाण्ड कर पंचायत समिति बानसूर को अपील एक माह में निस्तारण करने हेतु प्रेषित की गयी निगरानीकार द्वारा पंचायत समिति बानसूर में अपील पेश की गयी जिसको मियाद के बिन्दू पर दिनाक 13.04.2011 को खारिज कर दी गयी थी। जिसकी निगरानी न्यायालय के यहा से दिनाक 16.09.2011 को खारिज हुई जिस आदेश की निगरानीकार द्वारा एक रिट संख्या 15842/2011 माननीय राजस्थान उच्य न्यायालय में दायर की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 13.08.2012 को आदेश पारित कर पंचायत समिति बानसूर उक्त अपील को दो माह में निस्तारण करे, निगरानीकार द्वारा राजस्थान उच्य न्यायालय के आदेशानुसार एक प्रार्थना पत्र दिनाक 10.09.2012 को पंचायत समिति बानसूर में पेश किया गया तथा निवेदन किया की माननीय उच्य न्यायालय के आदेशानुसार उक्त अपील का निस्तारण किया जावे। पंचायत समिति बानसूर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गयी तथा उक्त प्रार्थना पत्र के मिन निगरानीकार द्वारा पूर्व में की गयी अपील की मूल पत्रावली तलब किये बिना ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आलोच्य आदेश दिनाक 19.2.2014 पारित किया गया। आदेश दिनाक 19.2.2014 पंचायत समिति बानसूर में भी यह स्पष्ट रूप से दर्ज है, कि दिनाक 19.02.2014 के दिन पंचायत समिति बानसूर के समक्ष प्रार्थीया द्वारा पेश की गयी मूल अपील नही है, जिसके बावजुद भी सिर्फ एक प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश पर जिला परिषद अलवर द्वारा जॉच की गयी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में पाया गया की ग्राम पंचायत हरसौरा द्वारा यह पटटा निगरानीकार को संरपच ग्राम पंयायत हरसौरा द्वारा जारी किया गया था, तथा वर्तमान सरपंच को पटटे को अनियमित बताकर कोई कार्यवाही का अधिकार प्राप्त नही है, पटटा निरस्त करने का अधिकार सक्षम न्यायालय को ही है। जबकि ग्राम पंचायत हरसौरा द्वारा वर्तमान तक किसी सक्षम न्यायालय में निगरानीकार को जारी पटटा निरस्त करने बाबत कोई कार्यवाही नही की गयी है, उक्त तथ्यो को गौर करते हुऐ निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत हरसौरा का आदेश दिनाक 17.06.2010 व पंचायत समिति बानसूर का आलोच्य आदेश दिनाक 19.02.2014 निरस्त फरमाते हुये ग्राम पंचायत हरसौरा को पाबन्द किया जावे की वो निगरानीकार को पटटा संख्या 1 दिनाक 22.01.2008 के जरिर्ये आंवटित रिहायशी भूखण्ड वाके ग्राम हरसौरा के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करे।

विद्वान वकील अनिगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर द्वारा प्रशासन स्थापना समिति बैठक दिनाक 19.02.2014 विधिवत आयोजित कर निर्णय लिया गया है, कि निगरानीकार श्रीमती सरोज देवी पत्नि हनुसान प्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम हरसौरा तहसील बानसूर पंचायत समित बानसूर के पक्ष में जारी पटटा 01 दिनाक 22.01.2008 नियम विरूद्व होने तथा बी.पी.एल की श्रेणी में भी नही होने के कारण निरस्त किये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या 01 पारित किया जिसकी विधिवत कार्यवाही की गयी है। साथ ही निवेदन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्य व मौके की वस्तुस्थिति के आधार पर विधिक प्रकिया एवं प्रावधानो के अनुसार विधि द्वारा प्रतिस्थापिक नियमो कि पालना व प्रावधानो के अनुसार निर्णय पारित किया गया है, न्याय के तैयशुदा किसी भी सिद्वान्त का उल्लंघन नही किया गया है। निगरानीकार द्वारा पेश निगरानी खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। विद्वान वकील निगरानीकार का मुख्य तर्क है कि निगरानीकार परिवार सहित ग्राम पंचायत हरसौरा में भूखण्ड पैमाईशी 30 गुणा 45 पर करीब 20 वर्षो से रिहायश कर पुख्ता निर्माण किया हुआ है। ग्राम पंचायत हरसौरा द्वारा आंवटन (भूमियो का कमजोर वर्गो को आंवटन) मिन निगरानीकार को जरिर्ये पटटा संख्या 01 पुस्तक संख्या 28 दिनाक 22.01.2008 को जारी किया गया है। आंवटन पत्र पर तत्कालीन सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर मौजुद है। निगरानीकार को भूखण्ड पैमाईशी 30 गुणा 45 के आंवटन की बाबत दिनाक 22.01.2008 को ग्राम पंचायत हरसौरा की सभा में प्रस्ताव संख्या 8 पारित किया गया है। जिस प्रस्ताव के अनुमोदन में निगरानीकार को उक्त भूखण्ड का पटटा जारी किया गया, जो प्रस्ताव ग्राम पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में लिखित दर्ज है, तथा दिनाक 22.01.2008 को ही अन्य प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत हरसौरा द्वारा लिये गये है, जो सभी प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज है। जिस पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वहॉ उपस्थित सरपंच, सभी पंचगण, सचिव एवं अन्य उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर करवाये गये है। विवादित पटटे के संबंध में कार्यालय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर के द्वारा एक जॉच रिपोर्ट जर्ये पत्राक जिपअ/पंचा/जॉच/10–11/19489–91 दिनाक 05.10.2010 के द्वारा निजी सचिव राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवायी गयी है, जिसके बिन्दू संख्या 2 के अनुसार यदि पट्टा नियम विरूद्व भी जारी हुआ है। तो इसे सक्षम न्यायालय द्वारा ही खारिज किया जा सकता है, वर्तमान सरपंच को पटटा जारी करने को अनियमित बताकर कोई कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नही है। बिन्दू संख्या 4 में भी संरपच द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से निगरानीकार का मकान तोडा जाना पाया गया है।

तहत अदालत की पत्रावली/प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया उक्त तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पंचायत समिति बानसूर के आदेश दिनांक 19.02.2014, ग्राम पंचायत हरसौरा तहसील बानसूर द्वारा पारित आदेश दिनाक 17.06.2010 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)